न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—83 / 2018 (2018 / 00200) वाद पत्र

अनवान

1—शंकरनाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजुनाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नैनानाथ पिता सुण्डानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—घीसानाथ पिता भुरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मोहनी पत्नि लेहरूनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—गोर्वधननाथ पिता घीसानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—रेवतनाथ पिता देवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—श्रवणनाथ पिता सुवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—सुखानाथ पिता मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भागुड़ी बेवा मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नैनानाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—रोशननाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—प्रभुनाथ पिता शंम्भुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लक्ष्मीदेवी पत्नि शम्भुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—मोहननाथ पिता भोलानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—सोहननाथ पिता लादुनाथ जोगी नाबा जरिये माता मंजुदेवी निवासी मियाला
9—पारसी पिता लादुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—मंजुदेवी पत्नि लादुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—हेमनाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—धर्मी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—नेनी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—प्रेमी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—सुड़ी बेवा राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—भावना पुत्री राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—मीना पुत्री राजुनाथ जोगी निवासी मियाला [illegible] रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—राजस्थान राज्य जरिये तहसील[illegible] जिला भीलवाड़ा
19—शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक [illegible] शाखा [illegible]पुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20—सहायक अभियन्ता सार्वजनिक [illegible]य रायपुर तहसील [illegible]

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन– अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांकः–22.03.2022

पत्रावली पेश हुई प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में वादी के आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारो की आराजी संख्या 348 रकबा 0.2668 है0 स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजी के साबिक नम्बर 231 रकबा एक बीघा बारह बिस्वा थे जिसमें से चार बिस्वा भूमी संवत 2029 से 2032 में सड़क में जाने से साबिक आ.सं. 231 रकबा एक बीघा बारह बिस्वा भूमी में से चार बिस्वा भूमी कम की जाकर चार बिस्वा के नए नम्बर 231/1 रकबा बार बिस्वा कायम किए गए। ग्राम मियाला में भु प्रबंध होने से साबिक आ.सं 231 रकबा एक बीघा आठ बिस्वा के नए नम्बर 348 रकबा 0.31 हैक्ट. व सा.आ.सं. 231/1 रकबा चार बिस्वा के नए नम्बर 349 रकबा 0.04 हैक्ट कायम किए गए। नवीन आ.सं. 348 रकबा 0.31 हैक्ट में से 0.0432 हैक्ट भूमी भंवरनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मियाला ने क्रय कर ली जिसके नवीन नम्बर 788/348 रकबा 0.0432 हैक्ट कायम किये गये तथा आ.सं. 348 रकबा 0.2668 हैक्ट, कायम किए गए। प्रमाण में साबिक जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 की व मिलान क्षेत्रफल व साबिक नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश हैं। वादीगण की साबिक आ.सं. 231 रकबा एक बीघा बारह बिस्वा भूमी में से चार बिस्वा भूमी जो प्रतिवादी संख्या 20 के नाम दर्ज हुई जिसका वादीगण को कोई मुआवजा नहीं दिया गया तथा सड़क के काम आने वाली भुमि से अधिक भूमी प्रतिवादी संख्या 20 के नाम पर दर्ज कर दी गई हैं। भुप्रबंध से पूर्व साबिक नक्शे में वादीगण की सा.आ.सं. 231 रकबा एक बीघा आठ बिस्वा भूमी के दक्षिण में सा.आ.सं. 231/1 रकबा 4 बिस्वा दर्ज रेकॉर्ड थी परंतु भुप्रबंध के पश्चात नवीन नक्शे में आ.सं. 348 रकबा 0.2668 हैक्ट. भूमी के पूर्व में नवीन आ.सं. 349 को मौके की स्थिति एवं साबिक नक्शे के विपरीत तरमीम कर दिया गया। भुप्रबंध विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण की नवीन आ.सं. 348 के पूर्व में सड़क की आ.सं. 349 को तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं था जिससे नवीन नक्शे में सड़क की आ.सं. 349 को वादीगण की आ.सं. 348 के पूर्व से हटाकर दक्षिणी भाग में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम किए जाने तथा आ.सं. 348 के पश्चिम में दर्ज सड़क की भूमी को वादीगण के नाम दर्ज किए जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हो गया [illegible] बंध के पश्चात् सड़क की आ.सं. 349 रकबा 0.04 हैक्ट को वादीगण की आ.सं. 348 के पूर्व में साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति के विपरीत तरमीम कर देने से सड़क [illegible] पक्का निर्माण किया जा रहा हैं तथा वादीगण के हक एवं हिस्से पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा हैं जिससे प्रतिवादी संख्या 20 के विरुद्ध सड़क सीमा में किए जा रहे पक्के निर्माण एवं अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:15 IST
Reason: SelfAttested

को हटाने के लिए निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया हैं। यदि दौराने वाद अतिक्रमियों द्वारा सड़क सीमा में अतिक्रमण व पक्का निर्माण कर लिया जाए तो प्रतिवादी संख्या 20 को आदेशात्मक आज्ञा के अतिक्रमण हटाने का प्रदान फरमाया जाए। वादी संख्या 3 व 5 की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान को वादीगण बनाया गया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के पिता की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान को प्रतिवादीगण बनाया गया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 19 के यहां भूमी रहन होने से उसे पक्षकार बनाया गया हैं। प्रतिवादी संख्या एक से सतरह द्वारा प्रकरण में वादी नहीं बनने से उन्हें प्रतिवादीगण बनाया गया हैं परंतु उनके विरूद्ध कोई प्रभावी अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। प्रतिवादी संख्या 18 व 20 राज्य सरकार के प्रतिनिधी हैं जिससे उनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व उन्हें धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस देना आवश्यक हैं परंतु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से उन्हें दो माह का नोटिस दिए बिना ही वाद पत्र पेश किया जा रहा हैं जिसकी अनुमति के लिए धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र अलग से पेश हैं। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण 18 व 20 इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाए कि ग्राम मियाला की नवीन आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 भूमि को साबिक नक्शे एवं मौके स्थिति के अनुसार नवीन नक्शे में वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 की आराजी संख्या संख्या 348 की पूर्वी दिशा से हटा कर दक्षिणी दिशा में दर्ज करने तथा दक्षिण दिशा में बची हुई भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 को आदेश प्रदान फरमाया जावे साथ ही बहक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जाए कि प्रतिवादी संख्या 18 से 20 अतिकमियों द्वारा सड़क की आराजी संख्या 349 की सीमा में किये जा रहे अतिक्रमण रूकवाए एवं यदि दौराने वाद अतिकमियों द्वारा सड़क की भूमि में पक्का अवैध निर्माण कर लिया जाए तो प्रतिवादीगण संख्या 18 से 20 को आदेशात्मक आज्ञा के जरिये अतिक्रमण हटाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 से 17 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 18, 19, 20 फॉरमल पक्षकार है जिनकी ओर से तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में तहसील[illegible] रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मियाला की आराजी संख्या 788 / 348 रकबा [illegible] वादी भंवरनाथ पिता रामनाथ जोगी के नाम खातेदारी हक से दर्ज [illegible] जिस पर [illegible] में चारो और पत्थरो की दीवार बनी हुई है एवं उक्त आराजी के दक्षि[illegible] अस्थाई अर्द्वनिर्मित मकान बना हुआ है। क्षैत्रफल की गणना मुताबिक नक्शे व मौकेके अनुसार वादी के नाम दर्ज रकबे में कोई कमी नही है। अर्थात उक्त आराजियात की भूमि पर किसी का कब्जा अथवा अतिक्रमण नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:15 IST
Reason: SelfAttested

है। आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 किस्म सड़क जो कि राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम पर दर्ज है परन्तु मौके पर जहां सड़क नक्शे में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्शायी गई उस स्थान पर वास्तव में मौके पर पूर्ण रूप से दर्ज नही है। सड़क बनी हुई है जिसका रकबा 0.03 है0 है जो सड़क के उत्तर की तरफ 4 मीटर चौड़ाई में 23 मीटर लम्बाई तक खुला क्षेत्र पड़ा हुआ है। जहां तक आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 गै.मु सड़क में प्रतिवादीगणो का प्रश्न है केवल सड़क के उत्तरी पूर्वी तरफ सिढ़ीया बनाने के मकसद से आरसीसी में रेम्पनुमा ढांचा बना रखा है एवं दक्षिण पूर्व में सड़क सीमा का आंशिक भाग जो कि अर्द्व निर्मित अवस्था मे है पर प्रतिवादीगणो द्वारा कब्जा होना पाया गया जिसके लिये प्रतिवादीगणो को ब्राद नपती कार्य के सीमाकंन के बिन्दुओ से अवगत कराने पर स्वयं ने ही हटा लेना स्वीकार किया। उक्त प्रकरण में जो विवादित दुकानो के बाद में सड़क सीमा में होने का उल्लेख किया है वह रेकार्ड अनुसार गलत है क्योंकि उक्त दुकाने विपक्षीगणो की आराजी संख्या 343, 344, 345, 346 में निर्मित है एवं जहां सड़क वर्तमान में मौके पर निकल रही है वह विपक्षीगण एवं अन्य के शामलाती खाते में दर्ज है। मूल विवाद भू प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी नम्बर 349, 347, 341 में जो सड़क दर्शायी गई है वह मौके की स्थिति अनुसार सही नही होने से उत्पन्न हुई है। गत एवं वर्तमान स्थिति में जहां मौके पर सड़क दर्शाई गई है एवं वास्तव में मौके पर सम्पूर्ण भाग में सड़क स्थित नही है उसके सत्यापन हेतु मौके पर आरजी संख्या 387 गै.मु.आचा आ.स. 338 के पूर्वी ओर 321 एवं 323 के मध्य मेड़ आधार बनाते हुए आराजी संख्या 338, 342, 341, 340, 347, 349 एवं 348 के विभिन्न कोनो से कटान काटते हुए मिलान किया गया उसके पश्चात वर्तमान में मौजुद सड़क के नक्शे में दर्शाया गया जो नक्शा साथ में सलंग्न होकर वास्तविक सड़क को लाल स्याही से दर्शायी गई है। जहां तक विपक्षीगणो द्वारा आराजी संख्या 347 जो गै.मु. सड़क है उसमें से उत्तर पूर्व की ओर जो दुकाने बनी हुई है उसका आंशिक भाग सड़क सीमा में आता है जिसके लिये विपक्षीगणो ने बताया कि उक्त भूमि हमारे खातेदारी में दर्ज थी परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सड़क दर्ज कर दी गई जो गलत होने से श्रीमान के यहां प्रकरण दर्ज कर रखा है जो विचाराधीन है।

उक्त प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय हेतु चिन्हित कर पूर्व में प्रेषित मौका रिपोर्ट का सत्यापन कर मौका स्थिति के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 24.[illegible].2022 को मौका निरीक्षण कर मौका स्थिति से पक्षकारान को अवगत कराते हुए पर्चा मौका बनाया गया जो शामिल पत्रावली है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में संलग्न रेकार्ड मौका रिपोर्ट का मनन करने से पाया कि राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है जो रकबा साबिक आराजी संख्या 231 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मे से 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:15 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा भूमि जमाबन्दी रोटेशन 2029 से 2032 के विशेष विवरण में सड़क में जाना अकिंत किया हुआ है जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है उक्त रकबे को नवीन भू प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 भूमि दर्ज करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई है जबकि प्रकरण संख्या 12/2017 में वादीगण द्वारा चाही गई मौका स्थिति पर तहसीलदार रायपुर के द्वारा मौका निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई जो इस वर्णित वादवर्णित आराजियात से भी सम्बधित होने से मौका रिपोर्ट की फोटो प्रति इस पत्रावली में संलग्न की गई है जिसके अनुसार मौके पर आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 मे से 0.02 भूमि ही सड़क के रूप में उपयोग में आ रही शेष 0.02 है0 रकबा सड़क के उपयोग में नही आकर अन्य आराजी संख्या 343, 344, 345, 346 के खातेदारो द्वारा कुछ भाग पर दुकाने बना रखी है जो उन्ही के कब्जे में है एवं कुछ भाग पर इन्ही खातेदारो के द्वारा निर्माण कार्य किया गया था जो वादीगणो के कब्जे एवं हिस्से की भूमि में निर्माण होना पाया जाने से तत्कालीन तहसीलदार रायपुर के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया था जो 20X20 फीट का जो भू भाग कोने पर सड़क के पश्चिम की ओर एवं ग्रामीण कच्चे रास्ते की उत्तर की ओर का भाग जो वादीगण की आराजी संख्या 348 का आता है जहां वर्तमान में किसी प्रकार का निर्माण नही होकर केवल पिल्लर खड़े हे उस अनुसार आराजी संख्या 348 की सीमा निर्धारण किया जाकर राजस्व नक्शे को संशोधित किया जाना उचित होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर में वादवर्णित आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 भूमि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है जिसमें से 20X20 फीट का जो भू भाग कोने पर सड़क के पश्चिम की ओर एवं ग्रामीण कच्चे रास्ते से उत्तर की ओर का भाग जो वादीगण की आराजी संख्या 348 का भाग माना जाकर तत्कालीन तहसीलदार रायपुर द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था जिसका वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उसी अनुसार आराजी संख्या 348 के नक्शे की तरमीम करते हुए नक्शा दुरस्त किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.03.2022

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:15 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–83 / 2018 (2018 / 00200) वाद पत्र

अनवान

1–शंकरनाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–राजुनाथ पिता अमरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–नैनानाथ पिता सुण्डानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–घीसानाथ पिता भुरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–मोहनी पत्नि लेहरूनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–गोर्वधननाथ पिता घीसानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–रेवतनाथ पिता देवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–श्रवणनाथ पिता सुवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–सुखानाथ पिता मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–भागुड़ी बेवा मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–नैनानाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–रोशननाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–प्रभुनाथ पिता शंम्भुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–लक्ष्मीदेवी पत्नि शम्भुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–मोहननाथ पिता भोलानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–सोहननाथ पिता लादुनाथ जोगी नाबा जरिये माता मंजुदेवी निवासी मियाला
9–पारसी पिता लादुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–मंजुदेवी पत्नि लादुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–हेमनाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–धर्मी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–नेनी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14–प्रेमी पुत्री रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15–सुड़ी बेवा राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16–भावना पुत्री राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17–मीना पुत्री राजुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19–शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक [illegible] रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20–सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:15 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बरः—83 / 2018 (2018 / 00200) वाद पत्र

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर में वादवर्णित आराजी संख्या 349 रकबा 0.04 है0 भूमि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है जिसमें से 20X20 फीट का जो भू भाग कोने पर सड़क के पश्चिम की ओर एवं ग्रामीण कच्चे रास्ते से उत्तर की ओर का भाग जो वादीगण की आराजी संख्या 348 का भाग माना जाकर तत्कालीन तहसीलदार रायपुर द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था जिसका वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उसी अनुसार आराजी संख्या 348 के नक्शे की तरमीम करते हुए नक्शा दुरस्त किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22/03/2022
(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:15 IST
Reason: SelfAttested